

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 98/12

संस्थापन दिनांक:-17/02/12

फाईलिंग नं. 233504000972012

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. विनोद पिता गुलाबराव गायकी, उम्र 25 वर्ष
2. कलाबाई पति गुलाबराव गायकी, उम्र 50 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम ससाबड़,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 30.10.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324/34, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.02.2012 को दोपहर 12 बजे फरियादी नानकराम का खेत जो कि लोक स्थान या उसके समीप है, फरियादी नानकराम को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी नानकराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नानकराम को किसी धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 04.02.2011 को अपने खेत पर गेहूँ, चना की रखवाली कर रहा था। तभी अभियुक्त विनोद की बकरी उसके खेत में घुस गयी जिस पर उसने अभियुक्त से बकरी बाहर निकालने के लिए कहा तो इसी बात पर से अभियुक्त विनोद ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट किया, मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया तथा जान से मारने की धमकी दिया। उसके साथ में ही अभियुक्त विनोद की मां कलाबाई ने भी उसके साथ मारपीट की। मारपीट से उसे सिर, दोनों पैर की जांघ में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 49/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण

करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी नानकराम को किसी धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग-2 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

6 नानकराम (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त विनोद ने उसे कुल्हाड़ी से सिर में और बांये पैर पर मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। जितेंद्र (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने घाट पर से देखा था कि उसके पिता गिर गये हैं तो वह दौड़ा, अभियुक्त विनोद के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसके पिता के सिर और पैर में चोट आयी थी। श्रवण (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि उसने फरियादी को खेत में गिरा हुआ देखा था, खून निकल रहा था तब उसने गमछा बांध दिया था। मंगल (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उसे जितेंद्र ने बताया था कि अभियुक्तगण उसके पिता के साथ मारपीट कर रहे हैं। जब वह मौके पर पहुंचा तो फरियादी नानकराम घायल था, सिर और पैर से खून निकल रहा था।

7 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 04.02.2012 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत नानकराम का परीक्षण किये जाने पर उसके सिर के पीछे तरफ 3 गुणा 2 गुणा 3 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव एवं दाहिनी जांघ पर 2 गुणा 1 गुणा 2 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव था। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं धारदार हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) को प्रमाणित किया है।

8 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 04.02.2015 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए डॉ. रोहित द्वारा नानकराम को सिर एवं बांयी जांघ और दांये ँगुटने के एक्सरे के लिए भेजा जाना प्रकट करते हुए आहत की एक्सरे प्लेट क्र. 1081 में कोई अस्थि भंग न होना बताया है। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी एवं चिकित्सक साक्षी डॉ. एनके रोहित, जितेंद्र, नानकराम तथा साक्षी श्रवण एवं मंगल के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.-8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 04.02.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी नानकराम की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 49/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है।

10 बिसन सिंह (अ.सा.-7) ने दिनांक 09.02.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 49/12 की केस डायरी

विवेचना हेतु प्राप्त होने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उन्हें प्रमाणित किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में फरियादी नानकराम ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन नहीं किये हैं तथा अभियोजन साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साक्षीगण अपने कथनों में स्थिर नहीं है जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में श्रवण (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब फरियादी नानकराम को जमीन पर गिरा हुआ देखा था। सिर से खून निकल रहा था तो उसने गमछा बांध दिया था और अस्पताल लेकर आ गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने यह बताया है कि उसे केवल इतना मालूम है कि आहत गिरा हुआ था, उसे चोट लगी हुई देखी थी। साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्षी पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

13 मंगल (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे फरियादी नानकराम के लड़के जितेंद्र ने बताया था कि अभियुक्तगण उसके पिता के साथ मारपीट कर रहे हैं तब वह फरियादी नानकराम के खेत पर पहुंचा। रास्ते में अभियुक्तगण और उसकी मां आते दिखायी दिये थे और उनके पास बकरी भी थी। फरियादी नानकराम घायल अवस्था में था उसके सिर एवं पैर में चोट लगी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने मारपीट वाली घटना नहीं देखी थी। जब फरियादी का लड़का उसके पास आया था तब वह मौके पर पहुंचा था। जब वह पहुंचा तब अभियुक्तगण उपस्थित नहीं थे। घटना के समय वह मौके पर नहीं था इसलिए नहीं बता सकता कि फरियादी नानकराम को चोटें कैसे आयी। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 जितेंद्र (अ.सा.-1) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि उसने घाट पर से देखा था कि अभियुक्तगण और उसके पिता खेत के बीच में खड़े हुए हैं। अचानक से उसके पिता गिर गये तो वह दौड़ते हुए पहुंचा। दूसरी तरफ से उसकी मां भी दौड़ती हुई खेत पर पहुंची। अभियुक्त विनोद के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसके पिता का सिर कट गया था और पैर में कुल्हाड़ी घुस गयी थी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने गांव के ओमप्रकाश सूर्यवंशी को वेन लेकर

खेत पर भिजवाया और पिता को अस्पताल में भरती कराया था।

15 जितेंद्र (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब घटना हो रही थी तब वह मौके पर नहीं था। स्वतः कहा कि जब पिता गिर रहे थे तब देखा था। गिरने के बाद वह और उसकी मां मौके पर पहुंचे थे। पिताजी को खून निकल रहा था, तब गमछा बांध दिया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 04 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त विनोद और उसकी मां को पिता को मारते हुए नहीं देखा था, न ही सिर पर कुल्हाड़ी मारते देखा था और पुलिस को भी नहीं बताया था कि पैर और सिर में अभियुक्तगण ने कुल्हाड़ी मारी थी। पैरा क. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि वह और उसकी मां अलग अलग दिशा से दौड़कर मौके पर पहुंचे थे।

16 साक्षी जितेंद्र (अ.सा.-1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा अभियुक्त विनोद के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसके पिता के बांये पैर में कुल्हाड़ी घुस गयी थी। जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वयं के द्वारा घटना न देखा जाना बताया है तथा अपने पिता नानकराम के गिरने के बाद मौके पर आना बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी मां और वह एक साथ मौके पर पहुंचे थे। उसने अभियुक्तगण के द्वारा अपने पिता नानकराम को मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी जितेंद्र ने स्वयं के समक्ष अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी की मारपीट करना नहीं बताया है। न ही मौके पर पहुंचने के बाद अभियुक्त के हाथ में कुल्हाड़ी देखना बताया है। ऐसी स्थिति में जबकि साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। स्वयं के द्वारा घटना न देखना बताया है। तब उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को मात्र इतनी सहायता प्राप्त होती है कि घटना के समय फरियादी नानकराम घायल अवस्था में था और उसे सिर एवं पैर में चोट आयी थी।

17 अभिलेख पर मात्र आहत नानकराम (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा 134 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधानित है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल (2003) 1 एस.सी.सी. 465 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह से विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्धि स्थिर की जा सकती है। अतः साक्षी नानकराम के कथनों से यह देखा जाना है कि उस पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है या नहीं ?

18 नानकराम (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि घटना के समय वह खेत में बैल को पानी पिला रहा था तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अभियुक्त विनोद की बकरी गेहूं चर रही है, तब वह विनोद को बोलने के लिए गया कि

बकरी यहां से ले जाओ तो अभियुक्त विनोद ने उसे दो बार कुल्हाड़ी से मारा। फिर वह बेहोश हो गया। अभियुक्त विनोद ने बांये पैर पर भी कुल्हाड़ी मार दी थी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्त कलाबाई ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, वह कुछ बोल रही थी परंतु कुछ समझ नहीं आया। घटना उसकी पत्नी गीता ने देखी थी।

19 नानकराम (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसका अभियुक्तगण से इस झगड़े के पहले से कोई विवाद नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि जैसे ही वह गिरा उसे बेहोशी आ गयी थी। सिर पर गिरने से चोट लगने के बाद उसे एक दिन बाद होश आया था। जैसे ही वह गिरा सिर में चोट लगी। इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त विनोद के हाथ में कुल्हाड़ी नहीं देखी थी। स्वतः कहा कि बकरी चराते देखा था। प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त विनोद ने उसे एकदम से मार दिया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त विनोद ने सिर पर कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि जिस समय उसके सिर पर चोट लगी तब कुल्हाड़ी नहीं देखी थी। इस प्रकार साक्षी के कथनों में विरोधाभास है तथा साक्षी ने बढ़ाचढ़ाकर न्यायालय में कथन किये हैं एवं अपनी पत्नी गीता को चक्षुदर्शी साक्षी बनाने का प्रयास अपने कथनों में किया है परंतु न्यायालय के मत में साक्षी के कथनों में आये विरोधाभास तात्त्विक न होकर अत्यन्त सामान्य है। घटना के लगभग दो ढाई वर्ष बाद साक्षी के कथन हुए हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घटना का सचित्र वर्णन प्रस्तुत करे। आहत नानकराम (अ.सा.-2) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त कलाबाई ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी परंतु साक्षी अभियुक्त विनोद के द्वारा उसे कुल्हाड़ी से मारे जाने के कथनों पर पूर्णतः स्थिर है। साक्षी के बताये गये स्थान पर उसे चोट भी आयी है। यद्यपि साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा कुल्हाड़ी से प्रहार करना बताया है परंतु साक्षी के सिर पर आयी चोट चिकित्सक साक्षी ने सख्त एवं बोथरे हथियार से आना संभावित बताया है एवं मात्र दांहिने जांघ पर आयी चोट को धारदार हथियार से आना बताया है। चूंकि अभियुक्त कलाबाई के द्वारा फरियादी नानकराम की मारपीट किये जाने के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है। स्वयं फरियादी ने यह बताया है कि अभियुक्त कलाबाई ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। अतः अभियुक्त कलाबाई को दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत मुचलके तत्काल भारमुक्त किये जाते हैं परंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त विनोद ने फरियादी की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

20 ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो। अतः अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

21 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप है, फरियादी नानकराम को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं अभियुक्त कलाबाई ने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नानकराम के साथ धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त विनोद ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी नानकराम को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त कलाबाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 324/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं अभियुक्त विनोद को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

22 अभियुक्त विनोद की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

23 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त एवं फरियादी एक ही गांव के निवासी हैं। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। साथ ही यह निवेदन किया कि अभियुक्त मजदूर पेशा व्यक्ति हैं जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारदार हथियार से मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

24 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा

फरियादी को फरियादी को धारदार हथियार से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

25 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं। प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा विगत पांच वर्षों से विचारण में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होकर सहयोग किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त के द्वारा पर्याप्त सजा भोग ली गयी है। आहत के चिकित्सकीय परीक्षण में उसकी मात्र दाहिनी जांघ पर धारदार हथियार से 2 गुणा 1 गुणा 2 सेमी. आकार का घाव पाया गया है एवं सिर पर आयी चोट सख्त एवं बोथरे हथियार से आना पायी गयी है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं उभयपक्ष के तर्कों को विचार में रखते हुए अभियुक्त विनोद को केवल न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। अतः अभियुक्त विनोद को धारा 324 भा.दं.सं. में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

26 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 2000/- रुपये फरियादी नानकराम पिता लक्ष्मण निवासी ससाबड़ थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

28 दं०प्र०सं० की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)